

thing and the hon. Minister says that it will be considered at the time of framing the rules. I do not know why they should be so stingy, why they could not express in specific terms that he shall be given suitable employment. I do not know why they should be so greedy in not having this cleared in the clause itself.

18hrs.

SHRI K. C. PANT : It will depend upon the number of jobs available and a number of other factors at that time. I am in sympathy with the sentiment behind this amendment. But as I explained earlier, I cannot give a guarantee that each and everyone shall be employed.

MR. CHAIRMAN : I shall put amendment No 4 to the vote of the House.

Amendment N. 4 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

Clauses 16 to 38, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.03 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PROFITS OF SUGAR MILLS AND SHARE OF SUGARCANE SUPPLIERS THEREIN

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) :
सम्राज्य महोदय, अभी 15 मई की माननीय

मन्त्री महोदय ने प्रश्न संख्या 832 के उत्तर में शुगर पालिसी के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि सदन के सामने उनका स्पष्टीकरण किया जाए। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में एक स्थान पर बताया है उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ :

"might have been substantial profits."

उनका कहना है शकर मालिकों को लाभ पहुंचा है। हमारा कहना है कि बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा है और उसमें किसानों का भी भाग होना चाहिए। लेकिन किसानों को कितना भाग मिलना चाहिए इसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। उनका भाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा है। एक तरफ गन्ना उत्पादक को उचित मूल्य नहीं दूसरी तरफ चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के उत्तर में एक दूसरी बात है जिससे निराशा पैदा हुई। वे कहते हैं :

'Canegrowers can get a higher price than the minimum fixed by the Government.'

यह नहीं कहते कि उच्चतम लाभ से कुछ मिलना चाहिए। वे कहते हैं :

"By and large they are paying a higher price to the cane growers than the reserve price."

मैं जानना चाहता हूँ क्या शुगर मिलों ने इस प्रकार की कीमतें दी हैं? आपने जो निम्नम प्राइम फिक्स की है उससे भी कम कीमतें कहीं-कहीं चीनी मीलों ने दी हैं। क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मिलों ने समान रूप से गन्ना उत्पादकों को कीमतें दी हैं।

18.04 hrs.

[SHRIMATI SHEILA KAUL in the Chair.]

फिर आगे कहते हैं :

"We are considering the whole question now to make long term policy."

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

मैं जानना चाहता हूँ आखिर यह अन्डर कन्सिड्रेशन कब तक चलता रहेगा ? गन्ना उत्पादक आज सकट में हैं। यह कन्सिड्रेशन कब समाप्त होगा और आप कोई फौरमूला तय कर पायेंगे कि नहीं। आप को मालूम है कि प्राइस लिंकिंग फौरमूला यहाँ पर था। उस फौरमूले का क्या हुआ ? माननीय किदवाई साहब के समय में इस प्रकार का प्राइस लिंकिंग फौरमूला एडाप्ट किया गया। लेकिन वह क्यों डिसकन्टीन्यू किया गया, क्यों व्यवहार में नहीं है, इसका कारण मन्त्री महोदय बतायेंगे ?

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा जैसा कि हमारी ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोवज को उचित वाम नहीं मिल पा रहे हैं। ऐस्टीमेट्स कमेटी की 15वीं रिपोर्ट के पेज 104 पर कहा गया है :

"They feel that this matter has been pending for a long time and the question of formulation of a long range policy keeping in view the future internal demand of sugar and also our sugar export commitments, does not brooke any further delay. They also feel that the anomaly of fluctuations will not be solved unless the sugarcane growers get a remunerative price for the cane "

जब तक किसान को रेग्युलेटिव प्राइस नहीं देगे तब तक आप की पालिसी के अन्दर जो अस्थिरता है, जिसको आप तय नहीं कर पा रहे हैं, वह बनी रहेगी चाहे भले ही शुगरकेन इन्क्वायरी कमेटी बैठायें। साथ ही मैं यह भी चाहूँगा कि शुगरकेन इन्क्वायरी कमेटी कहा तक पहुँची है और उसकी रिपोर्ट आपके पास आयी है या नहीं आयी है ? आखिर वह कमेटी क्या कर रही है ?

जैसा कि अखबार में बताया गया है, यह "हिन्दुस्तान टाइम्स" 1 नवम्बर का है, इसमें लिखा है कि :

"The Union Government has constituted a high power sugar industry inquiry commission to go into the question of decline in sugar yields and recovery."

मैं जानना चाहता हूँ कि यह आपकी रिकवरी क्यों घटी है। शुगर केन की पैदावार में डिकलाइन क्यों हुआ है ? और मन्त्री जी आपने हाई पावर कमेटी बनाई है आखिर उस कमेटी ने किस हद तक अपना कार्य पूरा किया है ? और अगर नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है, और आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

'इकोनामिक टाइम्स' ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और अपने स्वतन्त्र विचारों के आधार पर, 20 अप्रैल, 1970 के एडीशन में, उसमें लिखा है

"... to keep stability in the sugar prices the Government should fix remunerative prices for the sugarcane grower to guard against the diversion of sugarcane to other crops. There has been recently a decline in the total sugarcane area by 39 per cent. The only solution is to encourage greater cultivation of sugarcane of improved varieties which are high yielding and disease resistant."

मैं मन्त्री महोदय से इन उद्धरणों के आधार पर कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने कहा कि आखिर आपके प्राइस लिंकिंग फौरमूले के बारे में क्या हुआ ? और माननीय जगजीवन राम जी जब कृषि मन्त्री थे उन्होंने भी इस प्रकार की घोषणा की थी, जहाँ तक मुझे याद है, कि 10 रुपये मिनिमम प्रति क्विंटल किसान को गन्ना का दाम मिलना चाहिए। आखिर यह 10 रु० वाली बात का क्या हुआ ? किसानों को ठीक मूल्य मिले इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। एक तरफ चीनी मिल मालिकों ने जो आप को बताया कि 180 रु० प्रति क्विंटल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, तो उनकी बात मानकर उस आधार पर चीनी की प्राइस फिक्स करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब किसान कहता है कि हमारे गन्ने का बाख प्रति क्विंटल इतना बैठता है तो उसकी बात आप नहीं मानते और जांच करने की बात कहते हैं। जैसा कि आप ने 15 सारीख के उत्तर में कहा है कि हम ऐक्चुअल शुगर रिकवरी सीजन का इन्वेस्टिगेशन, कोस्ट आफ स्टोर्स, सीलरी और बेजोज, इन सारी चीजों की देखकर कोई

पोलिसी फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन यह पोलिसी प्रतिवर्ष तब तक होती है जब किसान अपना गन्ना मिल मालिकों को दे देता है। मैं चाहता हूँ कि गन्ना उत्पादकों के हित में भीनी मिलों के लिए रिजर्व जोन्स सिस्टम समाप्त करना चाहिए।

यहाँ पर कहा गया कि मिल मालिकों ने करोड़ों ६० की तादाद में मुनाफा कमाया लेकिन उसका शेयर किसान को नहीं मिला। उत्तर भारत की मिलें यदि किसान को ८ ६० ३७ पैसे से लेकर १० ६० तक देती हैं, महाराष्ट्र की मिलें ९, १० और ११ ६० देती हैं, तो दक्षिण भारत की मिलें केवल ८ ६० और पांडिचेरी जैसी मिल ७ ६० ३७ पैसे पर ही अटक गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह स्थिति क्यों है और मन्त्री महोदय ने उन मिलों की रिकवरी बढ़ाने के बारे में क्या उपाय अपनाये ? महाराष्ट्र की मिलें १० प्रतिशत से लेकर ११ या उससे ऊपर प्रतिशत की रिकवरी देती हैं। दूसरी मिलों में रिकवरी कम क्यों है ?

सभापति महोदय : अब आप का समय समाप्त हो गया।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : अभी तो मैं केवल चार-पांच मिनट बोला हूँ। मैंने इस वाद-विवाद को प्रारम्भ किया है। मुझको तो और समय मिलना चाहिए।

भारत में २१५ सुगर मिलें हैं। उनमें से ११० कोऑपरेटिव सैक्टर में हैं। आज़िक कोऑपरेटिव सैक्टर की मिलें तो लाभ दे सकती हैं। वे क्यों नहीं देती हैं ? महाराष्ट्र की सब मिलें लाभ में चल रही हैं। महाराष्ट्र की मिलें ८० से १५० दिन काम करती हैं, जब कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की मिलों का ह्यूरेजन ६० से १०० दिनों तक का होता है। इससे अधिक दिन नहीं चलती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप की जो पालिसी है कि कभी कंट्रोल, कभी डिक्टोरी और कभी सेमी कंट्रोल, इन सारे कंट्रोलों से गन्ना उत्पादकों को लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री महोदय

कोई भी पालिसी निर्धारित करें, जैसा महाराष्ट्र के मंत्री महोदय ने कहा—मैं उनके वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूँ—पालिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे गन्ना उत्पादकों को भी ठीक दाम मिले, वर्कर्स भी ठीक प्राप्त कर सकें और कंज्यूमर को भी लाभ मिले। उनका यह वक्तव्य टाइम्स आफ इण्डिया में १० अप्रैल को छपा था, जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ :

"Industries in the co-operative sector, particularly the agriculture-produce processing ones like sugar factories, should change their attitude of looking to their own interests, Mr. Vasantrao Patil, Maharashtra's Minister for Irrigation and Power, said here today."

इसके बाद वह कहते हैं :

"He said workers should get decent wages, consumers should get sugar at a reasonable price and cane-growers a due return."

केन प्रोअर्स को ड्यू रिटर्न मिले। इसके बारे में मंत्री महोदय ने कभी भी इस सदन को विश्वास में लेने की चेष्टा नहीं की। हवाई के अन्दर और आस्ट्रेलिया के अन्दर जहाँ सुगरकेन पर एकरेज इल्ड का परसेंटेज भारत से कहीं ज्यादा है रिकवरी १३ प्रतिशत और १४ प्रतिशत से भी अधिक है। आपने ऐसी कोई भी परिस्थिति या पैदा नहीं की जिसके कारण हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो और हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें। हमारे यहाँ गन्ने के उत्पादन का प्रतिशत घट रहा है, लोग गन्ना उत्पादन छोड़कर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। गन्ने का उत्पादन घटे नहीं, इसके लिए मन्त्री महोदय कौन सी स्थिति पैदा कर रहे हैं ? आप ने चौबी प्लेन में कहा है कि ४७ लाख टन उत्पादन का लक्ष्य था, लेकिन वह ३९ लाख टन के आस-पास भी नहीं रह पाया और ३२ लाख टन रह गया। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्पादन में गिरावट क्यों आई है ? फील्ड्रीज के बारे में आपका अपना क्या रज है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो असमानता है उसको खत्म

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

करने के बारे में आप क्या करना चाहते हैं ?

एग्रीकल्चर रिसर्च की जो उपलब्धियाँ हैं उन के बारे में आप केन ब्रोअर्स को किस प्रकार लाभान्वित करने या रहे हैं जिससे किसान ठीक दाम प्राप्त कर सके और उत्पादन बढ़ा सके, साथ साथ जो लाभ चीनी मिलों को होता है उसका लाभांश भी उनको मिल सके और हमारे यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा हो सके जिससे केन ब्रोअर्स, उत्पादक और वर्कर्स को समान रूप से लाभप्रद स्थिति प्राप्त हो सके, इसके बारे में क्या आप कोई अपनी पालिसी घोषित करने वाले हैं जिससे गन्ना उत्पादक कम से कम 10 रु० प्रति क्विंटल दाम प्राप्त कर सके और चीनी मिल मालिक भी किसान को मुनाफे में भागीदार बना सकें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० शेरसिंह) : सभापति महोदय, श्री पांडे ने कुछ प्रश्न उठाये हैं चीनी के बारे में। एक तो यह प्रश्न उठाया कि किसान को ज्यादा कीमत दी जा सकती थी, कुछ जगह कुछ कीमत दी गई और कुछ और जगह कुछ और कीमत दी गई। ज्यादा कीमत देने का प्रबन्ध करना चाहिए था, वह क्यों नहीं किया गया ? एक यह प्रश्न उठाया गया। दूसरे उन्होंने यह कहा है कि जो मुनाफा हुआ है मिल मालिकों को उसमें से हिस्सा किसानों को भी मिले। तीसरे उन्होंने लांग टर्म पालिसी की बात की है और एस्टीमेट्स कमेटी ने जो सिफारिश की है उसका जिक्र किया है। शूगर इन्वेंचयरी कमीशन के बारे में भी और कोआपरेटिव शूगर मिस्ज के बारे में भी उन्होंने कई प्रश्न उठाए हैं।

मेरा निवेदन यह है कि जैसे तो सरकार ने जो सिनिमम प्राइस फिक्स की हैं, जिसको नोशनल प्राइस कहते हैं, सात रुपये सैतीस पैसे की फी क्विंटल मुकर्रर की है। लेकिन हमने इस बात का प्रयत्न किया है और इसके बारे में पहले भी हाउस में निवेदन किया जा चुका है कि हम इससे ज्यादा कीमत किसान को दिलवायेंगे। कारण यह है कि हमें मालूम था कि कीमतें बढ़ रही हैं। अक्टूबर नवम्बर के महीने में ही कीमतें बढ़ने

लगी थीं। तभी हमने कोशिश की कि किसानों को अगर ज्यादा पैसा नहीं मिला तो आगे के लिए—इस साल तो कम पैदावार होगी ही— ज्यादा पैदावार हो, उसके लिए प्रोत्साहन किसान को मिलना चाहिए और अब उसको प्रोत्साहन मिलेगा तभी वह गन्ना ज्यादा बोने के लिए उत्साहित हो सकेगा। इस बास्ते उसको ज्यादा कीमत हमने दिलवाई। सभी राज्य सरकारों को हमने कहा कि वे ज्यादा कीमत किसानों को दिलवायें और ज्यादा कीमतें दिलवाई भी गईं। एक आध जगह हमको कठिनाई इस बात में पड़ी। तमिलनाडु में हमने कोशिश की है कि वह भी आठ रुपये पचास पैसे फी क्विंटल कम से कम किसान को जरूर दे। आंध्र प्रदेश में तथा तमिलनाडु में हमें विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तमिलनाडु सरकार को हमने फिर लिखा है। श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने अभी पिछले दिनों उनको पत्र लिखा है कि कम से कम साढ़े आठ रुपये दे। उनकी जो अपनी एसोसिएशन थी, मिल वालों की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे इतनी कीमत देंगे लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वे मुकरने लगे और जब मुकरने लगे तब राज्य सरकार को फिर से लोगो ने पत्र लिखा है कि उनको तैयार किया जाना चाहिए और साढ़े आठ रुपये कम से कम जरूर दिलाए जाने चाहिए।

इसी तरह से आंध्र प्रदेश में कठिनाई पैदा हुई थी। वहां भी थोड़ा पैसा दिया गया था। और साउथ इन्डियन मिल एसोसिएशन की जो आंध्र प्रदेश ब्रांच है उनके पास से एक दो दिन पहले हमें सूचना आई है जिसमें कहा गया है कि शूगर फैंक्ट्रीज को कोआपरेटिव सैक्टर में है उन्होंने फैसला किया है कि जितना मुनाफा उनको होगा उसमें हिस्सा वे किसानों को देंगे। वहां ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश है। हमने जोटा हिस्सा लगाया है कि आंध्र प्रदेश में—पूरी फिगर नहीं आई है क्योंकि अभी भी कुछ मिलें चल रही हैं और अब तक वे चलती रहींगी तब तक कास्ट आफ प्रोडक्शन का पूरा जम्मावा नहीं लगाया जा सकता है—उनको अधिक मुनाफा होगा और

प्रदेशों की बनिस्वत और वे कीमत भी कम दे रहे हैं। महाराष्ट्र में साढ़े ग्यारह रुपये फी क्विंटल के करीब दे रहे हैं। यह फिगर प्राविजनल है। जब पूरा हिसाब किताब बन जाए तो शायद और भी ज्यादा दें, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश में अभी कम दिया है। आंध्र प्रदेश में आठ मिलों कोआपरेटिव सेंटर में हैं और एक सरकारी सेंटर में है, निजाम मिल। उन्होंने फंसला किया है कि जितना मुनाफा होगा—जितना अभी दे रहे हैं—सात रुपये नब्बे पैसे और कहीं आठ रुपये, यह तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो अतिरिक्त मुनाफा होगा उसमें से चालीस परसेंट वे किसानों को देंगे। इसके अलावा बहा ज्वारंट स्टाक कम्पनियों के सेंटर में भी मिले हैं। नौ में से छः मिलों ने लिखकर भेजा है कि वे भी साढ़े आठ रुपये कम से कम जरूर देंगे। इससे ज्यादा भी अगर दे सके बाद में अपना प्राफिट एण्ड लास एकाउन्ट को देखकर, तो वह भी देने की सोच सकते हैं। एक जो मिल है उसने यह लिखकर भेजा है कि जितना उनको रिबंट मिला है एषसाइस इयूटी में उन पर जो अस्ती परसेंट से ज्यादा शूगर उन्होंने पंदा की है, वह सारा केन ग्रावर्स को मिलेगा और उसको मिल अपने पाम नहीं रखेगी। उसको मुनाफा ज्यादा होगा और उसका भी हिमाब लगाया जाएगा। वे शायद पन्द्रह रुपये टन के करीब और दे पायें। 85 रुपए टन कीमत अभी दी है और पन्द्रह रुपये टन और हो सकता है और इस तरह से यह सी रुपए टन हो जाएगा। वह दस रुपये क्विंटल के करीब दे पाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इस तरह से हमने कोशिश की है सभी प्रदेशों के साथ मिल कर ताकि जहां कम दिया है वहां ज्यादा दें मिल वाले और उनको जो मुनाफा हुआ है उसका हिस्सा कास्तकार को भी मिलना चाहिए ताकि किसान आइन्दा भी प्रोत्साहित हों और ज्यादा जमीन में गन्ने की कास्त करे।

जहां तक रिकवरी बढ़ाने का प्रश्न है, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लखनऊ के हमारे रिजर्व इन्स्टीट्यूट में ऐसे बीच तैयार किए हैं, जो कि हीट-रेसिस्टेंट हों। हम उन बीजों का

परीक्षण कर रहे हैं। हम यह भी चाहते हैं कि इनपुट्स का प्रबन्ध किया जाए और किसानों को क्रेडिट्स मिलें। इन इनपुट्स, अच्छे बीजों और फेडिब्ल्स का प्रबन्ध करने से ज्यादा रिकवरी हो सकेगी और एक एकड़ के पीछे ज्यादा पैदावार हो भी सकेगी। पिछले दिनों हमारे जायंट सेक्रेटरी, श्री पसरीचा, की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी। उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, गन्ने की पैदावार फी-एकड़ भी कम हुई है और रिकवरी भी नहीं बढ़ सकी है। वहां पर रिकवरी और पैदावार को बढ़ाने के सम्बन्ध में उस कमेटी ने कुछ सिफारिशों की हैं। हम उन पर विचार कर रहे हैं और हम विचार के बाद उनको कार्यान्वित करेंगे।

माननीय सदस्य ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच अन्तर की बात कही है। यह ठीक है कि इस साल उत्तर भारत में कीमते ज्यादा दी गई हैं। सीजन छोटा रहा है। इसलिए यहाँ मिलों को मुनाफा नहीं हुआ है। किसी-किसी जगह हुआ है, किसी जगह बहुत कम हुआ है और शायद किसी जगह बिल्कुल नहीं हुआ है। दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत ज्यादा मुनाफा हुआ है। इसलिए, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, हमने उनसे कहा है कि जब उनको मुनाफा ज्यादा हुआ है, तो किसान को उसमें हिस्सेदार बनाना चाहिए और उनको ज्यादा कीमत देनी चाहिए।

आगे के लिए पालिसी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। सरकार जल्दी अगले साल के लिए मिनिमम प्राइस फिक्स करने की कोशिश करेगी। जहां तक लांग-टर्म पालिसी का प्रश्न है, वह केवल इस मंत्रालय का काम नहीं है। उसमें प्लानिंग कमीशन, फिनांस मिनिस्ट्री और अन्य मंत्रालय में आते हैं। हम सब के साथ विचार-विनिमय कर रहे हैं। इस बारे में कल एक मीटिंग हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मंत्रालयों के साथ मिल कर सब बातों पर विचार करके एक लांग-टर्म पालिसी बना सकें।

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि किसान को कम से कम दस रुपये प्रति किबटल मिले। श्री जगजीवन राम ने यह एगोरेंट्स दिया था। आखिर दस रुपये प्रति किबटल देने में क्या कठिनाई है ?

प्रो० शेर सिंह : ऐसा कोई एगोरेंट्स श्री जगजीवन राम ने दिया हो, ऐसी बात नहीं है। सब बातों पर विचार हो रहा है। यह फैसला करना केवल इस मन्त्रालय का काम नहीं है। इसमें और मन्त्रालय भी आते हैं। उन सब से विचार-विनिमय करके लागू-टर्ष पालिसी बनाई जाएगी।

MR. CHAIRMAN : There are four more hon. members who have to ask questions. We have not got enough time I would, therefore, request that the hon. members may be precise in asking their questions, because the Minister has also to reply.

Mr. Jyotirmoy Bosu.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) . Today is the first day on which the unfortunate Private members have been able to get an half-an-hour discussion on the floor of the House, and if you want us to be brief, I do not think we can do it; still we shall do our best.

MR. CHAIRMAN : How long would you like the House to sit ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : As long as it is necessary.

MR. CHAIRMAN : I am not asking you only; I am asking the other members also. Anyway, you may now ask your question.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Sugar in this country has been made to taste bitter because Government on the one hand have ensured that the tycoons were allowed to plunder the sugarcane growers and on the other hand they were allowed to plunder the consumers. The other day I asked the hon. Minister to give us the minimum and the

maximum cost of production of sugar. I do not have the slightest doubt that he and his colleague sitting near him were fully equipped with the reply, but in order to protect the interests of the big tycoons, he was not willing to give it. If cost of production of sugar is between 10 and 12 annas, the factory rate, in certain regions and the consumer is made to pay Rs. 3, what does it show ? That means the State machinery is hand in glove with these tycoons. I want to ask. In 1970 you had constituted a Sugar Inquiry Committee. What is their report ? If they have not submitted the report, what is the reason ? We want to know this

At the same time, I want to ask, you make a clean breast before the House as to how much money you collected from the tycoons during the last Elections, The rumour is that they have contributed to the extent of Rs. 20 crores to the ruling Party for which they have been given protection to plunder and loot .. (Interruptions)

PROF. SHER SINGH : I strongly repudiate the suggestion of the hon. Member that somebody has taken Rs 20 crores from the tycoons. It is absolutely wrong. I strongly repudiate it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : We are bold enough in this House.. (Interruption) You cannot take us for a ride.

PROF. SHER SINGH : As far as the question of minimum and maximum cost of production, that day also it was raised and I submitted that for calculating the minimum and maximum cost of production factorywise, we require so many things to be known. That information is not available with us because some factories are still working.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Maximum and minimum. I seek your protection, Madam Chairman. I have said minimum and maximum. If he has not got about a particular region, let him give about other regions.

PROF. SHER SINGH : It at all I can attempt, I can only give the approximate figure. I cannot give the exact minimum and maximum cost of production because some factories are still working. Unless we know the length of the season for which they have been working and the price they have paid to the sugar cane

growers, unless all these things are known, we cannot work out the maximum and minimum cost of production. But still we can give the approximate figures...*(Interruptions)* That you are not interested?...*(Interruptions)* I can only give the rough figure because 12 factories are still working. In Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Pondicherry some mills are still working. You want Statewise ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Yes.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : Whatever it is, whatever wise it is.

PROF. SHER SINGH : For example, I can say about the Andhra and we have calculated and according to that the cost of production ranges between Rs. 120.

MR. CHAIRMAN : I think you are taking a long time. You may lay it on the Table.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : You have not answered my question. He was saying Rs. 120. What is the minimum ? Is that the minimum ?

MR. CHAIRMAN : I suggest, let him lay it on the Table so that everybody may know.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : He cannot do it. Why is it that this information we were seeking for the last one month and the Government has been trying to escape ? Today, we see that the Chair is trying to see that the Government is not pressed to give this information.

MR. CHAIRMAN : Everybody will know if it is laid on the Table.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Let him read it out. He must give this if you want our co-operation, what is the minimum and maximum cost of production,

MR. CHAIRMAN : If you have got it, please do it quickly.

PROF. SHER SINGH : In Punjab, it ranges on the basis of actual cane price paid, from Rs. 152.75 to Rs. 198.89. These are approximate figures.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : What is the national lowest ?

PROF. SHER SINGH : The lowest is Andhra Pradesh. There, the factories are still working. It is about Rs. 120 and the maximum is about Rs. 150.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : What happened to the finding of the Sugar Inquiry Committee ? I am within my rights to ask this question. I have put two questions. One he has replied with great difficulty. The other one he has yet to reply. You have scuttled it because you wanted to help tycoons. You are hand in glove with the tycoons. The Chair is also not helping us....

PROF. SHER SINGH : You are in the habit of saying so. Nobody can change your habit.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Nobody can change your habit of getting money from the tycoons.

श्री विभूति मिश्र (मोनीहारी) : किसानों को गन्ने की कीमत शूगर रिकवरी के आधार पर दी जाती है। मिलें जो शूगर-रिकवरी निकालनी है, क्या सरकार उमको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, या मिल-मालिक जो शूगर-रिकवरी बतलाते हैं, क्या सरकार उम पर ही निर्भर करना चाहती है ? क्या यह सही नहीं है कि जो हार्ड-पावर्ड शूगर एन्वयरी कमेटी बनी है, उसकी वजह से मिल-मालिकों के अन्दर घबराहट है कि कहीं शूगर फीट्टीज को मोडनाइज करने के लिए वे उस पर ज्यादा तबज्जह देने के लिए पैसा खर्च नहीं कर रही है ? क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जितनी गन्ना मिलें हैं, उनसे जो दाम गन्ना मिलों को मिलता है, वह किसानों की जो कास्ट-आफ-प्रोडक्शन है, उससे भी कम है ? क्या सरकार इन मिल मालिकों के दरवाजे पर जाकर आर्जु-विनती कर के किसानों को सही कीमत दिलवाने की बात सोचती है, जब सरकार के पास अधिकार है तो क्यों शूगरकेन की कीमत स्वयं तय नहीं करती ताकि किसानों को गन्ने की अच्छी कीमत मिल सके ?

श्री मूलचन्द झांग (पाली) : शूगरकेन उत्पादन करने वाले कामतकारों का मन्ने का करोड़ों रुपया मिल-मालिकों की तरफ बाकी है, वह रुपया दिलाया जाएगा या नहीं दिलाया जाएगा तथा उसकी व्यवस्था क्या होगी ?

दूसरा प्रश्न—दिसम्बर के महीने में हिन्दुस्तान में शूगर की कमी हो जाएगी और चीनी खाने वाले लोगों को, कन्स्यूमर्स को चीनी नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है, क्या इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है या कौन दोषी है, क्योंकि कामतकार को उत्पादन की सही कीमत नहीं मिली, इसी वजह से 42 लाख टन उत्पादन हुआ, जो बहुत कम है ? सरकार की लांग-टर्म पालिसी निश्चित न होने के कारण शूगर के मामले में सरकार अनुत्तीर्ण रही, इस लिए हम चाहते हैं कि कोई निश्चित नीति निर्धारित की जाए और उत्पादकों का जो रुपया बकाया है, वह दिलाया जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री राम रत्न शर्मा (बांदा) : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर भारत की मिलें चाटे मे हैं और दक्षिण भारत की मिलें मुनाफे में हैं। इसके पहले स्थिति यह थी कि दक्षिण भारत की मिलें चाटे मे थीं और उत्तर भारत की मिलें मुनाफे में थी। उस समय दक्षिण भारत की मिलों को एक्साइज ड्यूटी का कन्सेशन दिया गया था। क्या मंत्री महोदय इस समय उत्तर भारत की मिलों को एक्साइज ड्यूटी में कन्सेशन देने की बात सोच रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न—यह देखते हुए कि चीनी का उत्पादन इस साल घट गया है क्या सरकार कुछ बफर स्टॉक बनाने के प्रयत्न में है ताकि कन्स्यूमर को कम मूल्य पर शूगर मिल सके ? शूगर इन्कवायरी कमेटी की नियुक्ति की गई थी, माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा माना है तो उसकी रिपोर्ट कब तक जाने की आशा है ? यदि जा गई है तो उसको लायू क्यों नहीं किया गया है ? सरकार जो शूगर के बारे में एबहाक पालिसी एनाउन्स करती है वह बहुत देर में करती है।

उसके कारण भी मिलों को और केन प्रोवर्स को परेशानी होती है। इसलिए लांग-टर्म पालिसी जिसका एनाउन्समेंट आप करते आ रहे हैं उसको तुरन्त आप क्यों नहीं एनाउन्स करते हैं ?

श्री० शेर सिंह : मिश्र जी ने दो तीन प्रश्न किए। एक तो रिकवरी के बारे में कि उसकी जांच कैसे की जाती है कि कितनी रिकवरी शूगर की हुई। उसके लिए वहां पर एक्साइज इन्स्पेक्टर्स रहते हैं वे ड्यूटी लगाते हैं कुल देखकर कि कितना शूगरकेन आया और कितनी शूगर बनी, उसका सारा हिसाब लगाकर...

श्री विभूति मिश्र : वहां पर केमिस्ट रहते हैं रिकवरी निकालने के लिए तो मैं जानना चाहता हूँ केन्द्रीय सरकार क्या वहां पर किसी को बहाल करना चाहती है ?

श्री० शेर सिंह : बीच-बीच में हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितनी रिकवरी चल रही है।...

श्री विभूति मिश्र : मैंने कहा कि केमिस्ट रिकवरी निकालते हैं तो वहां पर अपना कोई आदमी बहाल करना चाहते हैं या नहीं—इसका जवाब दीजिए।

श्री० शेर सिंह : रिकवरी के बारे में सारी जानकारी हम प्राप्त करते रहते हैं कि कितनी रिकवरी चल रही है, कितनी हुई है। इस संबंध में हम और ज्यादा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे... (व्यवधान)...

दूसरी बात शूगरकेन प्राइस के बारे में है। इस बार विमोच रूप से बिहार में इसके बारे में आप सिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर केन-प्रोवर्स को ठीक कीमत मिली है, 8 रुपए से साढ़े 9 रुपए तक, एबरेज कीमत रु० 8.90 किसानों को वहां पर मिली जबकि रिकवरी भी थोड़ी थी और सीजन भी छोटा था।... (व्यवधान)...

श्री विभूति मिश्र : क्या आप हार्ड पावर कमेटी बनाकर जांच करवा रहे हैं क्योंकि वहां निक माफिक समझते हैं कि सरकार मिलों को

नेशनलाइज कर लेमी इसलिए वे पैसा नहीं लगा रहे हैं और इसलिए आपकी रिकवरी भी कम हो गई और केम प्रोब्लेम्स को बाटा भी हो गया।

प्रो० शेर सिंह : इसका फंसला आप करेंगे कि कब करना है और कैसे करना है। अभी इसका फंसला नहीं हुआ है।

डागा जी ने एरियर्स के बारे में कहा। एरियर्स के सम्बन्ध में पिछले साल के एरियर्स अब बहुत कम रह गए हैं। पिछले साल करीब-करीब एक करोड़ 54 लाख के एरियर्स थे लेकिन इस साल जो एरियर्स हैं 15 अप्रैल तक, उसके बाद की फिगर्स हम इकट्ठी कर रहे हैं, अभी वह आई नहीं है, उसमें कुछ तो एरियर्स ऐसे हैं जैसे कि महाराष्ट्र में उन्होंने फंसला किया है कि कुछ तो प्राविजनल दे देते हैं और अन्त में फंसला करेंगे। तो इस बार एरियर्स बहुत कम हैं। उत्तर प्रदेश जहां पर एरियर्स बहुत ज्यादा होते थे इस साल मायद दो परसेंट के करीब एरियर्स हैं। ... (उपबचान) ... हमने इस बार ऐसा फंसला किया कि रिजर्व बैंक को सब कोई मिल लोन के

लिए एप्लाइ करती है तो उसको बताना पड़ता है कि उसको कितना एरियर देना है। इस प्रकार हमने जो व्यवस्था की है उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है।

शूगर के सम्बन्ध में जैसा डागा जी ने कहा, यह बात ठीक है कि शूगर की पैदावार कम है लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं है कि शूगर खत्म हो जाएगी। हम हर महीने हिसाब लगाकर शूगर रिलीज करते हैं। सवा तीन लाख टन का हर महीने रिलीज कोटा है तो उसका सब हिसाब है ताकि पहली अक्टूबर तक हम उसको पहुंचावें।

शर्मा जी ने बफर स्टॉक के बारे में कहा। लेकिन जब हमारे यहां ज्यादा पैदावार होती तभी हम स्टॉक की बात कर सकते हैं।

18.42 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven
of the Clock on Tuesday, May 23,
1972/Jyaistha 2, 1894 (Saka).*